


7-3-17 अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी
का निष्पत्र होने से वकील मजदूर देवरी
के द्वारा कार्य स्थगित रखा गया उक्त
पत्रावली संख्या 3-5-17 को पेश हो

S.D.O

27/5
2017

प्राप्त 3 फरवरी
प्राप्त का निर्देश दिने
जो कि राजस्थान काश्तकारी
विध्यालय की धारा 25(A)
संबन्धित नियम-68 राजस्थान
काश्तकारी (सरकारी) संशोधन
नियम, 2012 के अन्तर्गत
निर्धारित प्रकृति के
आवेदन प्रस्तुत करने/प्राप्त
विस्तीकरण किया जाता है।



उपवक्ता अधिवक्ता
(देवरी वीकडा)
S.D.O Desheroi